“झारखण्ड राज्य में आदिवासी महिला नेतृत्व की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका का विश्लेषण(1990-2020)’’

एक

शोध सारांश

डिग्री के लिए आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति में

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

राजनीतिशास्त्र विभाग

द्वारा प्रस्तुत

वाई0 वी0 एन0 विश्वविद्यालय

राजाउलातू ,नामकुम ,रांची

झारखण्ड 834010(इंडिया)

फरवरी ,2024

शोध निर्देशक

डॉ० आलोक कुमार

सहायक प्रोफ़ेसर

राजनीतिशास्त्र विभाग

शोधार्थी

प्रीति खेस

पं0 सं0 – YBNU2003254

राजनीतिशास्त्र विभाग

"झारखण्ड राज्य में आदिवासी महिला नेतृत्व की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका का विश्लेषण(1990-2020)"

प्रस्तावना

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आदिवासी समुदाय एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक समूह के रूप में उपस्थित है, जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, जीवन-शैली और परंपराओं के लिए जाना जाता है। झारखंड राज्य आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण अनुसंधान की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यहाँ की सामाजिक संरचना में महिलाओं की भूमिका पारंपरिक रूप से सीमित मानी जाती रही है, किंतु 1990 के दशक के बाद के वर्षों में सामाजिक चेतना, शैक्षणिक जागरूकता, संवैधानिक आरक्षण एवं पंचायती राज व्यवस्था जैसे कारकों के प्रभाव से आदिवासी महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

झारखण्ड में आदिवासी महिलाओं ने न केवल अपने समुदाय के भीतर नेतृत्व की भूमिका निभाई है, बल्कि वे स्थानीय शासन तंत्र में भी अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर सामने आई हैं। इन महिला नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्व-सहायता समूहों, महिला हिंसा, विस्थापन, रोजगार जैसे विविध मुद्दों पर आवाज उठाई है, जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है।

हालांकि, इस क्षेत्र में आदिवासी महिला नेतृत्व की सामाजिक और राजनीतिक यात्रा सहज नहीं रही है। उन्हें पारंपरिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संसाधनों की कमी, राजनीतिक प्रशिक्षण का अभाव, और सामाजिक रूढ़ियों जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। फिर भी इन महिलाओं ने संघर्ष करते हुए सामाजिक चेतना को जीवित रखा और राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की।

इस शोध का उद्देश्य इसी ऐतिहासिक यात्रा का विश्लेषण करना है—यह समझना कि 1990 से 2020 के बीच झारखण्ड में आदिवासी महिलाओं ने नेतृत्व के क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया, किस प्रकार उन्होंने सामाजिक समस्याओं को संबोधित किया, और किस हद तक वे राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावित कर सकीं।

इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होगा कि आदिवासी महिला नेतृत्व केवल सत्ता में भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और सामुदायिक विकास की दिशा में एक सशक्त पहल है। यह शोध उन संघर्षों, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को उजागर करेगा, जो लोहरदगा की आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व से जुड़ी। आदिवासी समुदाय, जो न केवल जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की मौलिक जड़ों को भी अभिव्यक्त करते हैं। इन समुदायों में महिलाएँ पारंपरिक जीवन, सामाजिक ताने-बाने और सांस्कृतिक हस्तांतरण की वाहक रही हैं। झारखंड, राज्य आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ

उरांव, मुंडा, कोरवा, बिरजिया जैसे समुदाय निवास करते हैं। इस क्षेत्र की आदिवासी महिलाएँ न केवल आजीविका के कार्यों में बराबर की भागीदार रही हैं, बल्कि वे पारंपरिक अनुष्ठानों, त्योहारों, कृषि, वनों के संरक्षण और सामाजिक निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं।

हालाँकि, औपचारिक राजनीतिक संरचनाओं और सामाजिक नेतृत्व के मंचों पर आदिवासी महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है। पारंपरिक पितृसत्तात्मक ढाँचे, अशिक्षा, संसाधनों की कमी, सामाजिक रूढ़ियाँ, और राजनीतिक जागरूकता की अल्पता जैसे अनेक कारणों ने उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं से वंचित रखा। परंतु 1990 के दशक के बाद जब भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान हुआ, तब ग्रामीण भारत की महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण का अवसर मिला। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में भी यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ।

इस परिवर्तन के पश्चात् आदिवासी महिलाएँ धीरे-धीरे पंचायत चुनावों में प्रत्याशी बनने लगीं, ग्राम सभाओं में अपनी बात कहने लगीं, स्व-सहायता समूहों का नेतृत्व करने लगीं, और कुछेक तो जिला परिषद एवं विधायिका तक पहुँचने लगीं। इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यह नेतृत्व केवल सांकेतिक है, या वास्तव में महिलाएँ निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं? क्या यह नेतृत्व उनके सामाजिक दर्जे को बदल रहा है? क्या इससे उनके समुदायों की सोच और संरचना में परिवर्तन आया है?

वर्तमान शोध इन्हीं जटिल प्रश्नों की तह तक पहुँचने का प्रयास करता है। यह अध्ययन झारखण्ड राज्य की आदिवासी महिला नेतृत्व की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका को 1990 से 2020 के कालखंड में ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करेगा। यह शोध न केवल महिला सशक्तिकरण की वास्तविकता की जाँच करेगा, बल्कि यह भी परखेगा कि कैसे परंपरागत समाजों में महिलाएँ नेतृत्व की नई व्याख्याएँ गढ़ रही हैं।यह अध्ययन एक महत्त्वपूर्ण अंतर को भी समझने का प्रयास करेगा—वह अंतर जो सामाजिक नेतृत्व (जैसे कि महिला मंडल, स्व-सहायता समूह, ग्राम सभा की सक्रियता) और राजनीतिक नेतृत्व (जैसे कि पंचायत सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य आदि) के बीच विद्यमान है। यह शोध यह भी जाँच करेगा कि नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी का सामाजिक प्रभाव कितना गहरा और स्थायी है—क्या यह बदलाव केवल चुनावी है या यह समाज के मानसिक ढाँचे को भी प्रभावित कर रहा है?

इस शोध का उद्देश्य केवल आँकड़ों की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत को समझते हुए, आदिवासी महिला नेतृत्व की प्रक्रियाओं, संघर्षों, उपलब्धियों और सीमाओं को एक समग्र रूप से सामने लाना है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, सामाजिक संगठनों, और शैक्षिक समुदायों के लिए एक मूल्यवान दस्तावेज हो सकता है जो यह बताता है कि किस प्रकार नारी नेतृत्व विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव की वाहक बन सकता है।भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिला नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती जा रही है, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ

परंपरागत सामाजिक ढांचे में महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती थी। झारखंड, जो 2000 में बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, आदिवासी जनसंख्या की बहुलता वाला राज्य है। इस राज्य में जिले की जनसंख्या संरचना, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक संरचना विशिष्ट है। यह क्षेत्र मुख्यत उरांव, नागपुरी, मुंडा तथा अन्य आदिवासी समुदायों से आबाद है। यद्यपि इन समुदायों में महिलाओं की सामाजिक भूमिका पारंपरिक रूप से महत्त्वपूर्ण मानी जाती रही है, फिर भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के स्तर पर उनकी भागीदारी सीमित रही है।

शोध की पृष्ठभूमि और समस्या

1990 के दशक के बाद, विशेष रूप से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रभाव से स्थानीय स्वशासन प्रणाली में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ, जिसने आदिवासी महिलाओं को राजनीति में प्रवेश के अवसर प्रदान किए। यद्यपि यह आरक्षण एक सकारात्मक पहल रहा है, लेकिन वास्तविकता में यह देखा गया है कि कई बार महिलाएँ 'प्रॉक्सी प्रतिनिधि' के रूप में कार्य करती हैं और निर्णयों में उनकी सहभागिता सीमित रहती है।इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि झारखण्ड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में 1990 से 2020 के

बीच महिला नेतृत्व में क्या परिवर्तन आए, उनका सामाजिक प्रभाव क्या रहा, और क्या यह नेतृत्व केवल सांकेतिक है या परिवर्तनकारी भी।

क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

झारखंड एक प्रमुख राज्य है, जहाँ की आबादी में लगभग 13% से अधिक लोग अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भी आदिवासी आंदोलनों, संघर्षों और सामाजिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ महिलाओं की स्थिति अन्य जिलों की तुलना में अधिक स्वायत्त मानी जाती रही है, विशेषकर सामुदायिक आयोजनों, पारंपरिक पंचायतों और खेती से जुड़ी गतिविधियों में। इसके बावजूद, आधुनिक राजनीतिक मंच पर उनकी भागीदारी हाल ही के वर्षों में ही स्पष्ट दिखाई देने लगी है।

अनुसंधान की दृष्टि से महत्त्व

यह शोध न केवल आदिवासी महिला नेतृत्व की भूमिका को सामने लाने का प्रयास है, बल्कि यह भी मूल्यांकन करेगा कि क्या सामाजिक परिदृश्य में महिलाओं ने सत्ता संरचनाओं को बदला है। क्या वे सिर्फ कागज़ी प्रतिनिधित्व तक सीमित हैं या वास्तव में निर्णयात्मक भूमिका निभा रही हैं?

यह अध्ययन यह स्पष्ट करेगा कि:-

महिला नेतृत्व ने किस हद तक सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया है, उनकी निर्णय-क्षमता को किस प्रकार स्वीकार किया जा रहा है,और राजनीतिक व्यवस्था में उनके सशक्तिकरण की वास्तविक स्थिति क्या है।

साहित्य की समीक्षा

साहित्य की समीक्षा का उद्देश्य उस वैचारिक और शोधात्मक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करना होता है, जिसके आधार पर शोधकर्ता अपने अध्ययन की रूपरेखा तय करता है। इस अध्याय में आदिवासी महिला नेतृत्व, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं की भूमिका, और विशेष रूप से झारखंड के सन्दर्भ में पूर्ववर्ती शोधों और साहित्य का समेकित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

महिला नेतृत्व और पंचायती राज व्यवस्था

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया था, जिसे कई राज्यों में 50% तक बढ़ाया गया। इस संदर्भ में कई विद्वानों ने महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता और चुनौतियों पर शोध किया है।

Nirmala Buch (1999): "Women's Experience in New Panchayats" में बताया गया कि महिला प्रतिनिधियों ने नेतृत्व के नए रास्ते खोले हैं, परंतु कई जगहों पर वे अपने पतियों या परिवारजनों के इशारे पर कार्य करती भारत में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों में महिला पंचायती प्रतिनिधियों के अनुभव, चुनौतियाँ, संभावनाएँ और सामाजिक-राजनीतिक बदलाव का विश्लेषण किया है। यह रिपोर्ट भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए एक अहम दस्तावेज़ मानी जाती है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के तहत, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया।यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए था। निर्मला भुज ने इस नए बदलाव के प्रभावों को जानने के लिए 1999 में विभिन्न राज्यों से 3000 से अधिक महिला प्रतिनिधियों से बातचीत की।अधिकतर महिलाएँ ग्रामीण, कम पढ़ी-लिखी, गरीब और पारंपरिक पितृसत्तात्मक समाज से थीं।कुछ महिलाएँ पहली बार सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रही थीं और राजनीति उनके लिए नया अनुभव था।

कई महिलाओं को परिवार से सहयोग नहीं मिला। विशेषकर पति, ससुराल पक्ष और समुदाय द्वारा विरोध हुआ।कुछ मामलों में पुरुष सदस्य ही "सरपंच पति" या "प्रॉक्सी" बनकर शासन चला रहे थे और महिलाओं को केवल नाम मात्र के लिए रखा गया था।कई महिलाएँ पढ़ी-लिखी नहीं थीं, जिससे उन्हें सरकारी प्रक्रिया, फाइलें, और बैठकों को समझने में कठिनाई हुई।धीरे-धीरे महिलाओं ने पंचायत कार्यों को समझा, प्रशासनिक प्रक्रिया सीखी और अपने अधिकारों का प्रयोग करना शुरू किया।शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, स्कूल, सड़क, शराबबंदी जैसे मुद्दों पर महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई।कुछ महिलाओं ने भ्रष्टाचार का विरोध किया, बजट का सही उपयोग सुनिश्चित किया और जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया।महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। महिलाएँ अब अपने अधिकारों को समझने लगीं।निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ा। पुरुष सदस्यों ने महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करना शुरू किया।कई महिलाएँ अगली बार भी चुनाव लड़ीं और जीत दर्ज की।

निर्मला भुज ने सुझाव दिया कि महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए।उन्हें कानून, प्रशासन, बजट, और योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए।महिलाओं के लिए पंचायतों में सुरक्षित और सशक्त वातावरण बनाया जाए। “प्रॉक्सी संस्कृति” को खत्म करने के लिए कड़े नियम और निगरानी हो।निर्मला भुज की यह रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है कि आरक्षण केवल

एक शुरुआत है, असली चुनौती महिलाओं को निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। यह अध्ययन दर्शाता है कि किस प्रकार आरक्षित स्थानों पर महिलाएँ अपने अनुभव, संघर्ष और प्रयासों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बना रही हैं।

भूरिया आयोग (2002) की प्रमुख सिफारिशें:-आयोग ने पाया कि कई राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक उपेक्षा के कारण विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को आदिवासी क्षेत्रों में सशक्त बनाने की सिफारिश की, ताकि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में आदिवासी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आयोग ने पाया कि कई राज्यों में TAC की सिफारिशों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिससे आदिवासी समुदाय की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि कई बार आदिवासी क्षेत्रों में वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, और बाहरी या प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रतिनिधि बना दिया जाता है, जिससे "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" जैसी स्थिति उत्पन्न होती है।

B. Shrinivasulu (2002): उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की चुनौती को रेखांकित किया।

Sushma Yadav (2007): उनके अनुसार आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक मंच पर उपस्थित तो किया, लेकिन निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन ज़रूरी है।

आदिवासी महिला और सामाजिक नेतृत्व

Archana Chatterjee (2012): "Tribal Women in India" में आदिवासी महिलाओं की सामाजिक भागीदारी को रेखांकित किया गया है, विशेषकर उनके पारंपरिक ज्ञान, स्वायत्तता और सामूहिक निर्णय-निर्माण की क्षमता को।

Renu Khanna (2005): उन्होंने ग्रामीण महिला नेतृत्व में शिक्षा, स्व-सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।आदिवासी महिलाओं की शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा आती है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता: स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच के कारण आदिवासी महिलाएं कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करती हैं।हालांकि आदिवासी महिलाएं पारंपरिक रूप से कृषि और अन्य कार्यों में योगदान देती हैं, लेकिन उन्हें समान वेतन और अवसर नहीं मिलते। समाज में आदिवासी महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीमित भूमिका मिलती है।

में सुझाव दिया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, और आर्थिक अवसरों में सुधार के माध्यम से आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण संभव है।

Meena Gopal (2010): आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व में ग्राम विकास और सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी को 'सांस्कृतिक सत्ता का एक रूप' कहा है।मीणा गोपाल, जो मुंबई स्थित "Forum Against Oppression of Women" की सदस्य हैं, ने इस लेख में अनुसंधान और सक्रियता के बीच की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे जाति और लैंगिकता के आधार पर महिलाओं को श्रम के क्षेत्र में भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से, उन्होंने यौन श्रम में संलग्न महिलाओं के अनुभवों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कैसे सामाजिक संरचनाएं और पूर्वाग्रह उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। इस लेख में, मीणा गोपाल ने दलित और आदिवासी महिलाओं की आवाज़ों को केंद्र में रखते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अनुसंधान और सक्रियता को एक साथ लाकर ही इन जटिल मुद्दों का समाधान संभव है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया है कि विभिन्न सामाजिक आंदोलनों और संगठनों के बीच संवाद और सहयोग से ही जाति, लैंगिकता और श्रम के मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है।

Jharkhand Women's Commission Reports (2010–2020): इन रिपोर्टों में महिला उत्पीड़न, स्वास्थ्य, शिक्षा और नेतृत्व की स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

Rajeshwar Mahto (2015): उन्होंने झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मुखियाओं की प्रशासनिक क्षमता पर प्रकाश डाला।प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की समस्या: झारखंड की पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के बावजूद, कई बार वास्तविक निर्णय उनके पति या अन्य पुरुष परिजन लेते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि 95 महिला मुखियाओं में से केवल 11 ने स्वयं कॉल रिसीव किया, जबकि अधिकांश मामलों में उनके पति या अन्य परिजनों ने कॉल उठाया और पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी दी।प्रशासनिक क्षमता निर्माण की आवश्यकता: महिला प्रतिनिधियों की नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन आवश्यक है। उदाहरणस्वरूप, सामाजिक संस्था 'युवा' द्वारा आयोजित एक बैठक में महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और प्रशासनिक क्षमताओं के विकास पर चर्चा की ।सकारात्मक उदाहरण कुछ महिला मुखियाओं ने अपनी सक्रियता और कार्यों से पहचान बनाई है।उदाहरणस्वरूप, रांची की पिठौरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी

देवी को जल संरक्षण और स्वच्छता कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया ।

Anjali Tirkey (2019): "Adivasi Mahilaon ka Rajnaitik Uday" में बताया गया कि आदिवासी महिलाएं अब स्थानीय राजनीति में मुखर हो रही हैं, किंतु कई सामाजिक बंधन उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते।

झारखण्ड राज्य पर विशिष्ट अध्ययन

झारखण्ड राज्य पर अब तक सीमित अध्ययन ही उपलब्ध हैं। कुछ स्थानीय एनजीओ और सामाजिक संगठनों जैसे PRADAN, CINI, Vikas Bharti आदि ने अपनी रिपोर्टों में इस क्षेत्र की महिलाओं के नेतृत्व विकास की कहानियों को संकलित किया है।

इन रिपोर्टों में यह स्पष्ट हुआ कि महिला प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर सक्रियता से कार्य कर रही हैं।

हालांकि, उनके निर्णयों को सामाजिक स्वीकृति मिलने में समय लगता है, और कई बार उन्हें 'पुरुषों की छाया' में कार्य करना पड़ता है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

पिछले अध्ययनों में महिला नेतृत्व के बारे में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ दी गई हैं, लेकिन निम्न बिंदुओं पर अभी तक समुचित शोध नहीं हुआ है।

1. झारखण्ड जैसे आदिवासी बहुल जिलों में नेतृत्व की गुणवत्ता का आकलन।
2. 1990 से 2020 तक की कालावधि में नेतृत्व विकास के चरणों का सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषण।
3. महिला नेतृत्व की संस्थागत सीमाएँ, जैसे प्रशासनिक प्रशिक्षण, परिवार का हस्तक्षेप, और सामाजिक असमानता।
4. स्वतंत्र नेतृत्व बनाम प्रतिनिधि नेतृत्व की व्याख्या आदिवासी पृष्ठभूमि में।

समीक्षा साहित्य यह संकेत देता है कि आदिवासी महिलाओं ने नेतृत्व की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, किंतु सामाजिक ढांचे और पितृसत्तात्मक सोच अब भी एक बड़ी बाधा हैं। झारखण्ड जैसे क्षेत्र में गहन क्षेत्रीय अध्ययन की आवश्यकता है जो महिला नेतृत्व की जमीनी सच्चाइयों को उजागर कर सके।

शोध की आवश्यकता एवं औचित्य

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अनुसूचित जनजातियाँ अपने विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के लिए जानी जाती हैं। इनमें भी महिलाएँ, विशेषकर झारखंड जैसे क्षेत्र की आदिवासी महिलाएँ, दोहरी सामाजिक चुनौतियों का सामना करती हैं – एक ओर आदिवासी समुदाय के भीतर पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचना और दूसरी ओर मुख्यधारा समाज में उनकी हाशिये की स्थिति।

इस परिप्रेक्ष्य में यह शोध अत्यंत आवश्यक बन जाता है क्योंकि यह न केवल आदिवासी महिला नेतृत्व के वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन करता है, बल्कि उनके सामाजिक सशक्तिकरण की प्रकृति और राजनीतिक भूमिका को भी स्पष्ट करता है।

शोध की आवश्यकता

क्षेत्रीय अध्ययन का अभाव

झारखण्ड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में महिला नेतृत्व पर केंद्रित क्षेत्रीय, समयबद्ध और व्यवस्थित शोध का अभाव है। अधिकांश अध्ययन राष्ट्रीय या राज्य स्तर तक सीमित रहे हैं।

आरक्षण बनाम सशक्तिकरण

आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी संभव हुई, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि क्या यह केवल सांकेतिक है या वास्तव में महिलाओं ने नेतृत्व के प्रभावी रूप को अपनाया है?

नेतृत्व की गुणवत्ता और स्वतंत्रता

कई बार महिला प्रतिनिधि निर्णय प्रक्रिया में स्वतंत्र नहीं होतीं और 'प्रॉक्सी नेतृत्व' के अंतर्गत कार्य करती हैं। इस स्थिति की पड़ताल गहराई से जरूरी है।

सामाजिक स्वीकृति का प्रश्न

नेतृत्व की प्रभावशीलता तभी सिद्ध होती है जब समाज भी उसे स्वीकार करे। आदिवासी समाज में महिला नेतृत्व की सामाजिक स्वीकृति और चुनौती दोनों का आकलन महत्वपूर्ण है।

योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन

राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की गई हैं (जैसे SGSY, NRLM, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ आदि)। इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव क्या रहा है, इसका विश्लेषण आवश्यक है।

शोध का औचित्य

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से:- यह अध्ययन महिला नेतृत्व से संबंधित सैद्धांतिक विमर्शों को आदिवासी परिप्रेक्ष्य में समृद्ध करेगा।

सामाजिक दृष्टिकोण से:- यह शोध समुदाय में व्याप्त रूढ़ियों को चुनौती देने और महिला नेतृत्व के प्रति दृष्टिकोण बदलने में सहायक हो सकता है।

नीतिगत दृष्टिकोण से:- सरकार और प्रशासनिक इकाइयाँ इस शोध के निष्कर्षों के आधार पर अधिक व्यावहारिक और क्षेत्र-सापेक्ष योजनाएं बना सकती हैं।

शैक्षणिक दृष्टिकोण से:- यह कार्य समाजशास्त्र, महिला अध्ययन, जनजातीय अध्ययन और राजनीति शास्त्र के छात्रों एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री प्रदान करेगा।

इस शोध की आवश्यकता इसलिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसे क्षेत्र और वर्ग पर केंद्रित है जो दशकों से सामाजिक हाशिए पर रहा है, परंतु जिसकी भूमिका अब सामाजिक और राजनीतिक बदलाव में निर्णायक होती जा रही है। झारखण्ड की आदिवासी महिलाएँ केवल मतदाता नहीं, अब प्रतिनिधि भी हैं। यह शोध इस परिवर्तन की गहराई, प्रभावशीलता और संभावनाओं की पड़ताल करने का एक गंभीर प्रयास होगा।

शोध की परिकल्पना, उद्देश्य और अनुसंधान प्रश्न

हर शोध अध्ययन एक दिशा निर्धारित करता है – वह दिशा शोध की परिकल्पना, उद्देश्य और अनुसंधान प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट होती है। इस शोध का फोकस है "झारखंड के लोहरदगा क्षेत्र में आदिवासी महिला नेतृत्व की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका का विश्लेषण (1990–2020)"। अतः, इस अध्याय में इन्हीं तीन आधार-स्तंभों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

शोध की परिकल्पना

1. झारखण्ड राज्य में 1990 से 2020 तक आदिवासी महिला नेतृत्व में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

2. आरक्षण के माध्यम से प्राप्त नेतृत्व ने महिलाओं को सामाजिक निर्णय-निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका दी है।

3. अधिकांश महिला प्रतिनिधियों को निर्णय प्रक्रिया में स्वतंत्र भूमिका निभाने में सामाजिक और पारिवारिक अवरोध का सामना करना पड़ता है।

4. जिन महिला नेताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और समुदाय का समर्थन प्राप्त है, वे अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली नेतृत्व प्रस्तुत करती हैं।

शोध के उद्देश्य

1. झारखण्ड राज्य में आदिवासी महिला नेतृत्व की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।

2. 1990 से 2020 के कालखंड में महिला नेतृत्व के विकास की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।

3. आदिवासी महिला नेताओं की राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक भूमिका को समझना।

4. यह मूल्यांकन करना कि क्या यह नेतृत्व वास्तविक है या केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित है।

5. महिला नेताओं के सामने आने वाली प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चुनौतियों की पहचान करना।

6. महिला नेतृत्व के माध्यम से हुए सामाजिक परिवर्तन (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास) का आकलन करना।

अनुसंधान प्रश्न

1. झारखण्ड राज्य में आदिवासी महिला नेतृत्व की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है?

2. 1990 से 2020 तक महिला नेतृत्व में क्या परिवर्तन आए हैं?

3. क्या पंचायतों और अन्य संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की निर्णय-निर्माण में स्वतंत्र भूमिका है?

4. क्या उनके नेतृत्व से समाज में व्यवहारिक बदलाव आए हैं?

5. कौन-कौन से कारक उनके प्रभावशाली नेतृत्व को प्रोत्साहित या बाधित करते हैं?

6. क्या सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं उनके नेतृत्व को मजबूती देती हैं?

7. क्या आदिवासी समुदायों में महिला नेतृत्व को सामाजिक स्वीकृति मिल रही है?

यह शोध की विचारधारा को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। परिकल्पनाएँ परीक्षण योग्य हैं, उद्देश्य यथार्थपरक और अनुसंधान प्रश्न गहराई से विश्लेषण की मांग करते हैं। इन तीन स्तंभों के आधार पर आगे की शोध पद्धति का निर्धारण किया जाएगा।

शोध पद्धति

शोध पद्धति किसी भी शोध का सबसे महत्त्वपूर्ण स्तंभ होता है, जो अध्ययन को एक सुव्यवस्थित, तार्किक और वैज्ञानिक दिशा प्रदान करता है। इस अध्याय में शोध की प्रकृति, क्षेत्र, विधियाँ, उपकरण, डेटा संग्रहण और विश्लेषण की तकनीकों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

शोध की प्रकृति

यह शोध एक वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसका उद्देश्य झारखण्ड राज्य में आदिवासी महिला नेतृत्व की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका का समग्र विश्लेषण करना है।

अध्ययन क्षेत्र

झारखंड राज्य को शोध क्षेत्र के रूप में चुना गया है। यह राज्य आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, और यहाँ की सामाजिक संरचना महिला नेतृत्व के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। राज्य की प्रमुख पंचायतें और ब्लॉक जैसे सेरनदाग, किस्को, भंडरा, कुड़ू इत्यादि को अध्ययन में शामिल किया जाएगा।

जनसंख्या और सैंपल

जनसंख्या- लोहरदगा जिले की वे सभी निर्वाचित आदिवासी महिलाएँ जो वर्ष 1990 से 2020 तक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद जैसे पदों पर कार्यरत रही हैं।

नमूना आकार- कुल 60-80 महिला प्रतिनिधियों को विधि द्वारा चुना जाएगा।

सहायक प्रतिभागी:- कुछ पुरुष प्रतिनिधि, ग्राम सचिव, स्थानीय एनजीओ कार्यकर्ता और ग्रामवासी भी फोकस ग्रुप डिस्कशन में शामिल होंगे।

डेटा संग्रहण की विधियाँ

प्राथमिक स्रोत

साक्षात्कार-अर्ध-संरचित प्रश्नों के माध्यम से।

फोकस ग्रुप चर्चा- महिला समूहों के साथ।

प्रेक्षण-महिला प्रतिनिधियों की ग्राम सभा, बैठक या अन्य कार्यों के समय।

कुछ प्रभावशाली महिला नेताओं पर।

द्वितीयक स्रोत

सरकारी रिपोर्टें (झारखंड सरकार , महिला आयोग , पंचायती राज)

शोध-लेख, थीसिस, पुस्तकें

समाचार पत्र, वेबसाइट, NGO रिपोर्ट्स

उपकरण

साक्षात्कार प्रश्नावली

अवलोकन सूची

FGD गाइड

रिकॉर्डिंग डिवाइस (जहाँ अनुमति हो)

डेटा विश्लेषण

गुणात्मक विश्लेषण

विषयवस्तु विश्लेषण द्वारा

मात्रात्मक विश्लेषण- सीमित आँकड़ों का सांख्यिकीय प्रस्तुतीकरण।

पक्ष

प्रतिभागियों की स्वीकृति ली जाएगी।

उनके नाम और पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।

किसी भी प्रकार की मानसिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आहत न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा।

अध्याय विभाजन

शोध प्रबंध की सुव्यवस्थित प्रस्तुति के लिए अध्याय विभाजन आवश्यक होता है। यह न केवल शोध को तार्किक रूप देता है, बल्कि पाठक को विषय की गहराई में ले जाने में भी सहायक होता है। प्रस्तुत शोध को   अध्यायों में विभाजित किया गया है।

अध्यायों का संक्षिप्त विवरण

अध्याय 1: प्रस्तावना

अध्याय 2: झारखंड का सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

अध्याय 3: आदिवासी महिला नेतृत्व का उद्भव एवं विकास (1990-2020)

अध्याय 4: आदिवासी महिला नेतृत्व की सामाजिक भूमिका का विश्लेषण

अध्याय 5: आदिवासी महिला नेतृत्व की राजनीतिक भूमिका का विश्लेषण

अध्याय 6: निष्कर्ष

भविष्य में अनुसंधान की संभावनाएँ

तुलनात्मक अध्ययन:

झारखंड के अन्य जिलों जैसे सिमडेगा, गुमला या पश्चिमी सिंहभूम के साथ लोहरदगा की तुलना करके क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन किया जा सकता है।

पुरुषों की भूमिका:

महिला नेतृत्व के सशक्तिकरण में पुरुष परिजनों, समुदाय या सहकर्मियों की भूमिका का विश्लेषण किया जा सकता है।

दीर्घकालिक प्रभाव:

महिला नेतृत्व के सामाजिक प्रभावों को लंबी अवधि में (20–30 वर्षों) अध्ययन किया जा सकता है, जैसे बाल विवाह, पोषण, शिक्षा आदि पर।

सांस्कृतिक अवरोधों का विश्लेषण:

आदिवासी परंपराओं और मान्यताओं के संदर्भ में नेतृत्व के सामाजिक-सांस्कृतिक विरोधाभासों पर गहन शोध किया जा सकता है। यह शोध झारखण्ड क्षेत्र में आदिवासी महिला नेतृत्व के यथार्थ को उजागर करता है – जहाँ चुनौतियाँ हैं, वहीं प्रबल संभावनाएँ भी मौजूद हैं। यदि उचित नीतिगत हस्तक्षेप, समाजिक

समर्थन और निरंतर जागरूकता का संयोजन हो, तो आदिवासी महिला नेतृत्व न केवल पंचायतों तक सीमित रहेगा, बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है।

शोध-पत्र और विश्वविद्यालयीय शोध-प्रबंध (रांची विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आदि)। इस प्रकार यह शोध प्रबंध "झारखंड क्षेत्र में आदिवासी महिला नेतृत्व की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका का विश्लेषण (1990–2020ई०)" अपने उद्देश्यों को पूर्ण करता है और भावी अनुसंधान के लिए एक सशक्त आधार प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष

झारखंड क्षेत्र में आदिवासी महिला नेतृत्व की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका का 1990 से 2020 तक का विश्लेषण करते हुए यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यद्यपि आदिवासी समाज परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान रहा है, फिर भी पिछले तीन दशकों में आदिवासी महिलाओं ने अपने नेतृत्व कौशल, संघर्षशीलता, और सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से न केवल अपने समुदाय में बदलाव की नींव रखी है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी सशक्त हस्तक्षेप किया है।शोध के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि झारखण्ड की आदिवासी महिलाएँ सामाजिक रूप से पहले से अधिक जागरूक एवं संगठित हुई हैं। शिक्षा,

स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला अधिकार, नशा उन्मूलन, घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह जैसे मुद्दों पर उन्होंने सामूहिक रूप से आवाज़ उठाई है। स्व-सहायता समूहों, महिला मंडलों, एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से इन महिलाओं ने न केवल अपने आत्म-निर्भरता को बढ़ाया, बल्कि ग्राम्य समाज को भी सकारात्मक दिशा में प्रभावित किया।पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होने के बाद, लोहरदगा की कई आदिवासी महिलाएँ स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में निर्वाचित होकर आईं। यद्यपि आरंभ में उन्हें 'प्रॉक्सी' नेतृत्व (पति/परिजन के हस्तक्षेप के साथ) के रूप में देखा गया, समय के साथ इन महिलाओं ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझा, निर्णय-निर्माण में भाग लिया, और ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई।यह शोध दर्शाता है कि आदिवासी महिला नेतृत्व की प्रकृति सामूहिक, सहकारी और संवादपरक रही है। उनका नेतृत्व शहरी राजनीतिक मॉडल से भिन्न होते हुए भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है क्योंकि वह जनसरोकारों से सीधे जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं के भीतर रहते हुए नवाचार और परिवर्तन की दिशा में कार्य किया।

हालांकि आदिवासी महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु उन्हें अनेक स्तरों पर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है—जैसे पारिवारिक विरोध, सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक प्रशिक्षण का अभाव, पुरुष

नेतृत्व का दबाव, और प्रशासनिक अड़चनें। विशेष रूप से राजनीतिक मंचों पर उन्हें अपनी बात रखने और निर्णायक भूमिका निभाने में संघर्ष करना पड़ा।

शोध में यह भी प्रमाणित होता है कि जिन क्षेत्रों में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता अधिक है, वहाँ महिला नेतृत्व अधिक सशक्त और स्वतंत्र रूप से कार्यशील है। शिक्षा ने उन्हें आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कानूनी अधिकारों की समझ प्रदान की है, जिससे वे प्रभावी नेतृत्व करने में सक्षम हुई हैं।

लोहरदगा की आदिवासी महिला नेताओं ने पारंपरिक सामाजिक संरचना और आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित किया है। उन्होंने अपनी पहचान, संस्कृति और भाषा को बनाए रखते हुए नेतृत्व किया है, जिससे उनकी स्वीकार्यता और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि हुई है।शोध का निष्कर्ष यह भी दर्शाता है कि यदि उचित प्रशिक्षण, संसाधन, एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएँ, तो आदिवासी महिलाएँ न केवल पंचायत स्तर पर बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उनकी सहभागिता समाज के समावेशी विकास के लिए अनिवार्य है।

इस शोध के निष्कर्ष यह सिद्ध करते हैं कि झारखण्ड क्षेत्र की आदिवासी महिलाएँ सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व के क्षेत्र में एक मजबूत और प्रेरणादायक उपस्थिति बना चुकी हैं। उन्होंने न केवल अपनी पारंपरिक भूमिका को पुनर्परिभाषित किया है, बल्कि अपने समुदाय को आत्मनिर्भरता, न्याय और

समानता की दिशा में अग्रसर करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नेतृत्व भविष्य में नारी सशक्तिकरण, लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण और आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।इसमें झारखण्ड राज्य में आदिवासी महिला नेतृत्व की सामाजिक एवं राजनीतिक भूमिका से जुड़े प्रमुख निष्कर्षों को रेखांकित किया गया है, व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं, और आगे के अनुसंधान की संभावनाओं को इंगित किया गया है।1990 के बाद पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण लागू होने के पश्चात आदिवासी महिला नेतृत्व में स्पष्ट वृद्धि देखी गई है।यद्यपि महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, परंतु उनमें से अनेक निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं हैं; प्रॉक्सी नेतृत्व की स्थिति अब भी प्रचलित है। जिन महिला प्रतिनिधियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बेहतर रही, वे अधिक सक्रिय, आत्मविश्वासी और निर्णयात्मक सिद्ध हुईं। पारिवारिक दबाव, परंपरागत भूमिका, घरेलू जिम्मेदारियाँ और सामाजिक पूर्वग्रह नेतृत्व में बड़ी बाधाएं हैं।

जिन क्षेत्रों में प्रभावी महिला नेतृत्व सक्रिय रहा, वहाँ स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखे गए।महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई गई योजनाओं का आंशिक प्रभाव पड़ा है; प्रशिक्षण की निरंतरता और गुणवत्ता की कमी देखी गई।महिला प्रतिनिधियों के लिए नियमित, व्यावहारिक और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएँ।प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर महिला नेताओं के लिए परामर्श और कानूनी सहायता केंद्र

स्थापित किए जाएँ।ग्रामीण आदिवासी बालिकाओं के लिए शिक्षा की विशेष योजनाएं बनाई जाएँ जिससे भविष्य में सक्षम नेतृत्व तैयार हो।

पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य बनाई जाए और उनके हस्ताक्षर/निर्णय की स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए।सफल महिला नेताओं की कहानियाँ स्थानीय मीडिया, स्कूलों और समुदायों में प्रचारित की जाएं जिससे अन्य महिलाएं प्रेरित हो सकें।

संदर्भ

पुस्तकें:

1. वीरगिनियस खाखा - आदिवासी पहचान की राजनीति, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005।

2. अमर्त्य सेन - विकास एक स्वतंत्रता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।

3. एल. के. महापात्र - भारत में आदिवासी विकास: मिथक और यथार्थ, विकास पब्लिशिंग हाउस, 1994।

4. आर. एस. मिंज - झारखंड में आदिवासी आंदोलन, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, रांची, 2001।

5. निभा कुमारी - आदिवासी महिलाओं का सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान, हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2015।

6. सुमति टेटे - आदिवासी महिलाओं की स्थिति और चुनौतियाँ, भारतीय लोक परंपरा प्रकाशन, रांची, 2012।

7. आर. सी. प्रसाद - झारखंड का इतिहास, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 2003।

8. घनश्याम शाह - भारत में सामाजिक आंदोलन: साहित्य समीक्षा, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004।

सोध आलेख

1. सुषमा लकड़ा - झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं में आदिवासी महिलाओं की भूमिका, पीएच.डी. शोध प्रबंध, रांची विश्वविद्यालय, 2014।

2. मीना उरांव - लोहरदगा जिले में स्थानीय शासन में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन, एम.फिल शोध प्रबंध, इग्नू, 2018।

3. कल्पना सिंह - झारखंड में पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, खंड 8, अंक 2, 2016।

सरकारी रिपोर्ट एवं दस्तावेज़:

1. भारत सरकार - आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, जनजातीय कार्य मंत्रालय, 2014।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग - भारत में आदिवासी महिलाओं की स्थिति, 2012।

3. झारखंड सरकार - लोहरदगा जिला सांख्यिकी पुस्तिका, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, रांची (विभिन्न वर्षों)।

4. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार - 73वें संविधान संशोधन का महिलाओं की भागीदारी पर प्रभाव, 2010।

समाचार पत्र व पत्रिकाएँ:

1. प्रभात खबर (रांची संस्करण), विभिन्न तिथियाँ।

2. हिंदुस्तान, झारखंड संस्करण।

3. डाउन टू अर्थ (हिंदी) - पर्यावरण व विकास से संबंधित विशेषांक।

4. फ्रंटलाइन, द हिन्दू समूह - झारखंड की आदिवासी राजनीति पर विशेष लेख।

वेबसाइट्स एवं ऑनलाइन स्रोत:

1. https://tribal.nic.in – जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

2. https://www.jharkhand.gov.in – झारखंड सरकार का आधिकारिक पोर्टल।

3. https://niti.gov.in – नीति आयोग की रिपोर्ट्स।

4. https://censusindia.gov.in – भारत की जनगणना (2001, 2011)।

<u>शोध निर्देशक</u>

डॉ० आलोक कुमार

सहायक प्रोफ़ेसर

राजनीतिशास्त्र विभाग

<u>शोधार्थी</u>

प्रीति खेस

पं0 सं0 – YBNU2003254

राजनीतिशास्त्र विभाग